बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 322622 पटना, दिनांक:- 21/08/17

ग्रा0वि0-5/ई.आ.यो.-102-09/2012

प्रेषक,

राहुल रंजन महिवाल,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,

गोपालगंज ।

विषय:- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) / इंदिरा आवास योजना के लाभुकों के गलत बैंक खाता मं हस्तांतरित राशि को सही बैंक खाता में हस्तान्तरण करने के संबंध में ।**

प्रसंग:- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज का पत्रांक-565 दिनांक-28.06.2017 एवं 695 दिनांक-04.07.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि लाभुक को सहायता राशि अंतरित करने हेतु FTO Sign करने के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पूरी सतर्कता बरतें कि लाभुक का अन्य विवरण के साथ-साथ उनके बैंक खाता का विवरण सही है । जहाँ तक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं इंदिरा आवास योजना के लाभुको के गलत बैंक खाता में अंतरित की गई सहायता राशि को सही बैंक खाता में हस्तान्तरित करने संबंधी कार्रवाई करने का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के Digital Signature login से गलत बैंक खाता को सुधार करने की सुविधा प्रदान की गयी है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के Digital Signature login से प्रदत्त लिंक "Change Account details after payment" के माध्यम से लाभुक के बैंक खाता का सुधार किया जा सकता है । इस संबंध में विभागीय पत्र संख्या-318600 दिनांक-24.07.17 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं ।

अत: प्रासंगिक पत्र में उल्लिखित गलत बैंक खाता में अंतरित सहायता राशि की वसूली प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सुनिश्चित करायी जाय तथा वसूली की गई राशि को State Nodal Bank Account (जिस बैंक खाता से FTO द्वारा गलत बैंक खाता में राशि अंतरित की गई थी) में जमा करा दी जाय । साथ ही राशि को सही बैंक खाता में स्थानांतरित करने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा विशेष सतर्कता बरती जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति नहीं हो सके । इस संबंध में स्पष्ट निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अपने स्तर से जारी किया जाय ।

विश्वासभाजन

21.8.17

(राहुल रंजन महिवाल)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 322622 / पटना, दिनांक 21/08/17

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.8.17

सरकार के अपर सचिव

IAY 1089e